

न्यायालय नायब तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

प्र०स० ११/१९ ता०रजु. १९-११-१९ किस्म मुकदमा ११ एलआर एक्ट निर्णय दिनांक १५-०१-२०

सरकार

बनाम

कल्ला, सायल, गजराज इमाम इमाम सिंह

पत्रावली आज पेश हुई। पटवारी हल्का कपुरा भलुका ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है। कि ग्राम कपुरा भलुका के खसरा नम्बर ११५ रकवा ०.१६ हैक्ट. किस्म भूमि आराजी पर सम्वत २०७६ में श्री कल्ला, सायल, गजराज इमाम सिंह, इमाम सिंह, इमाम सिंह, इमाम सिंह तह० बयाना ने ०.२५ अतिक्रमण कर लिया है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण ११ एलआरएक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलय किया गया। जो नोटिस के सन्दर्भ में गैर सायल द्वारा उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। गैर सायल द्वारा अपने जबाब में स्वयं का अतिक्रमण नहीं होना अंकित करते हुये पुनः जांच कराने का प्रार्थना की है। प्रकरण में भू.अ.निरी. से पुनः जांच कराई गई। भू.अ.निरी. द्वारा अपनी पुनः जांच रिपोर्ट दिनांक १३.०१.२०२० में अतिक्रमी का अतिक्रमण होना अंकित किया गया। गैरसायल द्वारा प्रस्तुत जवाब भू.अ.निरी. की जांच रिपोर्ट एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंचता है। कि अप्रार्थी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही अमल में लायी जाना आवश्यक है। अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नम्बर ११५ रकवा ०.२५ हैक्ट. वाके ग्राम कपुरा भलुका से बेदखल किया जाता है। लगान ०.१६ का ५० गुणा पैन्ल्टी राशि ५४/- रुपये से दण्डित किया जाता है। पैन्ल्टी की मांग कायमी टी.आर.ए. हाजा से कराई जावे। पैन्ल्टी वसूली खडी फरसत को कब्जेराज लेकर फर्द नीलामी/ अवैध कब्जा/ बेदखली बायत हल्का पटवारी/ गिरदावर को आदेश जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकभील नम्बर ११५ से ११५ की जांच लामबंद हो। दाखिल दफतर हो। निर्णय दिनांक १५.०१.२०२० को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुमाया गया।

दिनांक १५/१/२०
 ५४/-
 तहसीलदार
 बयाना

तहसीलदार
बयाना